क्रम-संख्या—2016

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 891
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1989
आश्विन 14, 1911 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1937/सत्रह-वि-1—1(क) 43-1989

लखनऊ, 6 अक्तूबर, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1989]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये समय-समय पर भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 26 सन् 1951 में नई धारा 3 का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 में धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

उर्दू का प्रयोग

"3--उर्दू भाषा भाषियों के हित में, द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग, ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जायगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जायं ।"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव ।

No. 1937 (2) /XVII-V-1--1 (KA) -43-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Raj Bhasha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 6, 1989.

THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act no. 28 of 1989]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Official Language Act, 1951.

It is hereby enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Official Language (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh from time to time.

Insertion of new section 3 in U. P. Act no. XXVI of 1951

2. In the Uttar Pradesh Official Language Act, 1951, *after section* 2, the following section shall be *inserted*, namely :—

Use of Urdu

"3. In the interest of Urdu speaking people, Urdu language shall be used as second official language for such purposes as may be notified by the State Government from time to time."

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.